



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032025-262000
CG-DL-E-27032025-262000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/ चैत्र 6, 1947

No. 160]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/ CHAITRA 6, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

सा.का.नि. 195(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194न के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में,—

(अ) प्ररूप सं0 26थ में,—

- शीर्षक में, “194थ,” अंकों और अक्षर के पश्चात्, “194न,” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- उपाबंध के टिप्पण सं0 16 में, सारणी के अंत में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“194न	फर्म के किसी भागीदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या ब्याज का संदाय	94न”;
-------	---	-------

(आ) प्ररूप सं0 27थ में,—

- शीर्षक में, “194ड,” अंकों और अक्षर के पश्चात्, “194न,” अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- उपाबंध के टिप्पण सं0 13 की सारणी में,—

"195	अनिवासी को अन्य देय रकम	195";
पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित पंक्तियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--		
"194न	फर्म के किसी भागीदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस या व्याज का संदाय	94न
195	किसी अनिवासी को देय अन्य रकम	195"

[फा. सं. 22/2025/फा0सं0 370142/08/2025-टीपीएल]

आशीष कुमार अग्रवाल, उप सचिव

टिप्पण--मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, अधिसूचना सं0 का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 193 (अ), तारीख 25 मार्च, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2025

G.S.R. 195(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 194T of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II,—
(A) in Form No. 26Q,—
(i) in the heading, after the figures and letter "194S", the figures and letter "194T" shall be inserted;
(ii) in the Annexure, in the Note no. 16, in the Table at the end, the following shall be inserted, namely
:—

"194T	<i>Payment of salary, remuneration, commission, bonus or interest to a partner of firm</i>	94T";
-------	--	-------

(B) in Form No. 27Q,—

- (i) in the heading, after the figures and letter "194N", the figures and letter "194T" shall be inserted;
- (ii) in the Annexure, in the Note no. 13, in the table, for the row,—

"195	<i>Other sums payable to a non-resident</i>	195",
------	---	-------

the following rows shall be substituted, namely :—

"194T	<i>Payment of salary, remuneration, commission, bonus or interest to a partner of firm</i>	94T
195	<i>Other sums payable to a non-resident</i>	195"

[No. 22/2025/F. No. 370142/08/2025-TPL]

ASHISH KUMAR AGRAWAL, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 27th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 193 (E), dated the 25th March, 2025.